

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, 24th December, 2020

G.S.R._(E)- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014, in the Annexure to the rules, for Form SH-7, the following form shall be substituted, namely:-

FORM NO. SH-7

[Pursuant to section 64(1) of the Companies Act, 2013 and pursuant to rule 15 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014]


Notice to Registrar of any alteration of share capital

Form language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1.(a) * Corporate identity number (CIN) of company

Pre-fill

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3. *Purpose of the form

Increase in share capital independently by company

Increase in share capital with Central Government order

Redemption of redeemable preference shares

Increase in number of members

Consolidation or division etc.

Cancellation of unissued shares of one class and increase in shares of another class

4. In accordance with section 61(1) of the Companies Act, 2013, that by Ordinary Special resolution at

the meeting of the members of the company held on

(DD/MM/YYYY)

Service request number (SRN) of related Form MGT-14

(a) (i) The authorised share capital of the company has been increased from

Existing

(in Rs.)

Revised

(in Rs.)

Difference (addition)

(in Rs.)

(b) (i) The number of members in the company has been increased from

Existing

Revised

Difference (additional)

(ii) Maximum number of members excluding past and present employee(s)

(iii) Date of Board resolution

5. (a) In accordance with sub section (6) of section 62 of the Companies Act, 2013, the authorised capital of the company has been increased consequent upon an order number dated (DD/MM/YYYY) of the Union Government State Government of under sub section (4) of section 62 for conversion of debentures loan into shares

Existing authorised capital

(in Rs.)

Revised authorised capital

(in Rs.)

Difference (addition)

(in Rs.)

Date of passing the order by Tribunal (if applicable)

Date of receipt of such order

(b) A copy of the aforesaid order was received by the company from the Central Government on

6. The additional capital (taking into consideration the addition above) is divided as follows

(a) Number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.)

(b) Number of preference shares

Total amount of preference shares

Total addition

(in Rs.)

(in Rs.)

The conditions (e.g. voting rights, dividend rights, winding-up rights, etc.) subject to which new shares have been issued, are as follows

7. Notice is hereby given that

In accordance with section 61 of the Companies Act, 2013, that the company has on [] (DDMMYYYY)

(a) Consolidated []

(b) Converted []

(c) Reconverted []

(d) Subdivided []

(e) Cancellation of unissued shares []

Date of passing the order by Tribunal (if applicable) []

Date of receipt of such order []

8. In accordance with section 55, by a resolution of the Board of Directors at the meeting held on [] the company has redeemed redeemable preference shares, the particulars of which are as under

(a) Description of Preference shares to be redeemed []

(b) Date of issue of series of shares []

(c) Date on which shares were fully paid up []

(d) Due date of redemption of shares []

(e) Actual date of redemption of shares []

(f) Amount payable on redemption [] Amount (in Rupees)

i. Number of preference shares []

ii. Face value per share [] iii. Carrying rate of dividend per share []

iv. Total nominal value []

v. Total premium paid on redemption, if any []

(g) Preference shares redeemed out of [] Amount (in Rupees)

- o Profits of the company
- o Proceeds of fresh issue of shares

9. Revised capital structure after taking into consideration the changes vide points 4, 5, 6, 7 and 8 above

(a) Authorised capital of the company (in Rs.)

Break up of Authorised capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

Number of unclassified shares Total amount of unclassified shares (in Rs.)

(b) Issued capital of the company (in Rs.)

Break up of Issued capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares

Nominal amount per preference share

(c) Subscribed capital of the company (in Rs.)

Break up of Subscribed capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

(d) Paid up capital of the company (in Rs.)

Break up of Paid up capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

10. Whether articles of association have been altered Yes No

11. Particulars of payment of stamp duty (Refer instruction kit for details before filling the particulars)

(a) State or Union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid

Pre-fill

(b) * Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system

Yes No Not applicable

(i) Details of stamp duty to be paid

Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)

(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/Particulars	
Total amount of stamps or stamp paper (in Rs.)	<input type="text"/>
Mode of payment of stamp duty	<input type="text"/>
Name of vendor or Treasury or Authority or any other Competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government	
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number	
Registration number of vendor	
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty	

12. In case maximum stamp duty payable has already been paid, provide details of form(s) filled earlier (SRN or receipt number, form number, date of filing, amount of stamp duty paid)

13. Existing capital structure before taking into consideration the changes vide points 4, 5, 6, 7 and 8 above

(a) Authorised capital of the company (in Rs.)

Break up of Authorised capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

Number of unclassified shares Total amount of unclassified shares (inRs.)

(b) Issued capital of the company (in Rs.)

Break up of Issued capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares

Nominal amount per preference share

(c) Subscribed capital of the company (in Rs.)

Break up of Subscribed capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

(d) Paid up capital of the company (in Rs.)

Break up of Paid up capital

Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

Declaration

I* , a
* (Drop down) {Values: Director/Manager/Company secretary/CEO/CFO} of the company declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder have been complied with. I am authorized by the board of directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that

- (a) Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
- (b) All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.
- (c) I further declare that the company has paid correct stamp duty as per applicable Stamp Act.

*To be digitally signed by

DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of the company secretary

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

- Chartered accountant (in whole-time practice) or Cost accountant (in whole-time practice) or
 Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow

Associate

Fellow

Membership number or certificate of practice number

Attachments

1. Copy of the resolution for alteration of capital;
2. Copy of order of Central Government;
3. Copy of the order of the Tribunal;
4. Copy of Board resolution authorizing redemption of redeemable preference shares;
5. Altered memorandum of association;
6. Altered articles of association;
7. Workings for calculation of ratios (in case of conversion);
8. Optional attachment(s), if any

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/ certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

- i. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
- ii. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

To be digitally signed by

- Chartered accountant (in whole-time practice) Cost accountant (in whole-time practice)
 Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow Associate Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered


Digital signature of the authorising officer

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY) ”

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-IV]


24/12/2020
K.V.R. Murty, Joint Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 265(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 372 (E) dated 5th June, 2020.

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 दिसंबर, 2020

सा.का.नि.__(अ)- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) द्वितीय संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, नियम के अनुलग्नक में, प्ररूप एसएच-7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्,-

“प्ररूप संख्या एसएच-7

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 64(1) और कंपनी (शेयर पूंजी और विवेचन) नियम 2014, के नियम 15 के अनुसरण में]



शेयर पूंजी में किसी परिवर्तन का रजिस्ट्रार को नोटिस

प्ररूप की भाषा अंग्रेजी हिंदी

प्ररूप दायर करने हेतु अनुदेश किट देखें।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) पूर्व पूरित
(ख) कंपनी की विश्व अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2. (क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी की ईमेल आईडी

3. *प्ररूप का उद्देश्य
कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से शेयर पूंजी में वृद्धि
केंद्र सरकार के आदेश से शेयर पूंजी में वृद्धि करना
शोधित अधिमान शेयरों का शोधन
सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना
समेकन या विभाजन इत्यादि
 एक वर्ग के अनिर्गमित शेयरों को निरस्त करना और अन्य वर्ग के शेयरों को बढ़ाना

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1) के अनुसार द्वारा साधारण विशेष संकल्प पर
कंपनी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई (दिन/माह/वर्ष)
संबंधित प्ररूप एमजीटी.14 का सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

(क) (i) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाया गया है
मौजूदा (रुपए में)
संशोधित (रुपए में)
अंतर (योग) (रुपए में)

(ख) (i) कंपनी में सदस्यों की संख्या में ऐसी वृद्धि की गई है

मौजूदा
संशोधित
अंतर (योग)

(ii) सदस्यों की अधिकृत संख्या जिसमें विगत तथा वर्तमान कर्मचारी शामिल नहीं हैं

(iii) बोर्ड संकल्प की तारीख

5. (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उप-धारा (6) के अनुसार आदेश संख्या..... दिनांक..... के परिणामस्वरूप कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि कर दी गई है (दिन/माह/वर्ष) संघ सरकार राज्य सरकार का धारा 62 की उप-धारा (4) के तहत परिवर्तन ऋणपत्र शेयरों पर ऋण

वर्तमान प्राधिकृत पूंजी	(रुपए में)	<input type="text"/>
संशोधित प्राधिकृत पूंजी	(रुपए में)	<input type="text"/>
अंतर (योग)	(रुपए में)	<input type="text"/>

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख (यदि लागू हो)

ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख

(ख) कंपनी द्वारा पूर्वोक्त आदेश की एक प्रति केंद्र सरकार से को प्राप्त की गई।

6. अतिरिक्त पूंजी (उपर्युक्त योग पर विचार करने के पश्चात) को निम्नानुसार बांटा जाता है

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

(ख) अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमानित शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

कुल वृद्धि (रुपए में).....

शर्तें (अर्थात् मताधिकार, लाभांश अधिकार, समापन अधिकार इत्यादि) जिनके तहत नए शेयर जारी किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:-

7. नोटिस दिया जाता है कि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अनुसार कि कंपनी के पास.....(दिन/माह/वर्ष)

(क) समेकित

(ख) परिवर्तित

(ग) पुनः परिवर्तित

(घ) उप विभाजित

(ङ) अनिर्गमित शेयरों

का निरस्तीकरण

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख (यदि लागू हो) []

ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख []

8. धारा 55 के अनुसार को आयोजित की गई बैठक में निदेशक मंडल के एक संकल्प द्वारा कंपनी ने परिशोधनीय अधिमान शेयरों को शोधित कर दिया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है

(क) शोधित किए जाने वाले अधिमान शेयरों का वर्णन

(ख) शेयरों की श्रृंखला जारी करने की तारीख.....

(ग) तारीख जब शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त थे.....

(घ) शेयरों के शोधित की देय तारीख.....

(ङ) शेयरों के शोधित की वास्तविक तारीख.....

(च) शोधित पर देय राशि राशि (रुपए में)

i. अधिमान शेयरों की संख्या.....

ii. प्रति शेयर अंकित मूल्य.....

iii. प्रति शेयर लाभांश की दर.....

iv. कुल न्यूनतम मूल्य.....

v. शोधित पर चुकाया गया कुल प्रीमियम, यदि कोई हो.....

(छ) अधिमान शेयर राशि में से शोधन..... राशि (रुपए में)

o कंपनी का लाभ.....

o शेयरों के नए निर्गम से प्राप्तियां.....

9. उपर्युक्त बिंदुओं 4,5,6,7 और 8 के जरिए परिवर्तन पर ध्यान देते हुए संशोधित पूंजी ढांचा

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रुपए में).....

प्राधिकृत पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि.....

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम मूल्य.....

अवर्गीकृत शेयरों की संख्या..... अवर्गीकृत शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

(ख) कंपनी की निर्गमित पूंजी (रुपए में).....

निर्गमित पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि..... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि.....

प्रति अधिमान शेयर अंकित राशि.....

(ग) कंपनी की अंशदायी पूंजी (रुपए में).....

अंशदायी पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि..... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि.....

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि.....

(घ) कंपनी की प्रदत्त पूंजी (रुपए में).....

प्रदत्त पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि..... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि.....

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि.....

10. *क्या अंतर्नियमों में परिवर्तन किया गया है हां नहीं

11. मुद्रांक शुल्क के भुगतान के ब्यौरे (ब्यौरे भरने से पहले निर्देश-पुस्तिका को देखें)

(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसके संबंध पूर्व प्ररित

में मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया गया है

या किया जाना है

(ख) *क्या मुद्रांक शुल्क को एमसीए-21 प्रणाली के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुकाया जाना है हां नहीं
 लागू नहीं

(i) चुकाई जाने वाले स्टॉप शुल्क के ब्यौरे (रुपए में).....

चुकाई जाने वाले स्टॉप शुल्क की राशि

(ii) पहले चुकाई गई स्टॉप शुल्क के ब्यौरे

दस्तावेज/ब्यौरों का प्रकार	
टिकट या पक्का कागज की कुल राशि (रुपए में)
स्टांप शुल्क के भुगतान का प्रकार
विक्रेता या कोषागार या प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम एजेंसी का नाम जो मुद्रांक शुल्क एकत्र करने अथवा पक्के कागज (स्टांप पेपर) को विक्रय करने अथवा दस्तावेजों को अलंकृत करने अथवा सरकार की ओर से स्टाम्प वाउचरों का वितरण करने के लिए प्राधिकृत है	
उत्कीर्णता अथवा मोहर अथवा स्टाम्प पेपर अथवा कोषागार चालान संख्या का क्रम संख्या	
विक्रेता की पंजीकरण संख्या	
मोहर या स्टाम्प पेपर क्रय करने या स्टाम्प शुल्क के भुगतान की तारीख(दिन/माह/वर्ष)
मोहर अथवा स्टाम्प पेपर के क्रय या स्टाम्प शुल्क के भुगतान का स्थान	

12. यदि किसी मामले में देय मुद्रांक शुल्क का पहले ही भुगतान कर दिया गया है, पहले भरे हुए प्ररूप के ब्यौरे उपलब्ध कराए (एसआरएन या आवती संख्या, प्ररूप संख्या, प्रस्तुत करने की तारीख, चुकाए गए मुद्रांक शुल्क की राशि)

13. उपर्युक्त बिंदुओं 4,5,6,7 और 8 के जरिये परिवर्तन पर ध्यान देते हुए संशोधित पूर्व वर्तमान पूंजीगत ढाँचा

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रुपए में).....

प्राधिकृत पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि.....

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम मूल्य.....

अवर्गीकृत शेयरों की संख्या..... अवर्गीकृत शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

(ख) कंपनी की निर्गमित पूंजी (रुपए में).....

निर्गमित पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि..... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि.....

प्रति अधिमान शेयर अंकित राशि.....

(ग) कंपनी की अंशदायी पूंजी (रुपए में).....

अंशदायी पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि..... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि.....

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि.....

(घ) कंपनी की प्रदत्त पूंजी (रुपए में).....

प्रदत्त पूंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या..... इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि..... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या..... अधिमान शेयरों की कुल राशि.....

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि.....

घोषणा

में*.....एक *(ड्राप डाउन) {मूल्य: निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ} घोषणा करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है, मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह आगे और घोषणा की जाती है और सत्यापित किया जाता है कि

(क) इस प्ररूप में और उसके साथ लगे हुए संलग्नकों में जो भी कहा गया है, वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप में मामले के विषय की किसी सूचना सामग्री को दबाया या छुपाया नहीं गया है और संगम ज्ञापन और अंतर्नियमों को हस्ताक्षर करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे जा रह मूल रिकॉर्डों के अनुसार है।

(ख) सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्णतया, सही रूप से संलग्न किया गया है।

(ग) मैं यह घोषणा भी करता हूं कि कंपनी ने लागू स्टॉप अधिनियम के अनुसार सही मुद्रांक शुल्क अदा कर दिए हैं।

*डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

प्रमाण-पत्र

यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने रिकॉर्डों से उपर्युक्त ब्यौरों (संलग्नकों सहित) का सत्यापन कर लिया है।

और उन्हें सत्य और सही पाया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से संलग्न कर दिया गया है।

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक कार्य) अथवा लागत लेखाकार (पूर्णकालिक कार्य) या
 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक कार्य)

क्या संबद्ध या फैलो संबद्ध फैलो

सदस्यता संख्या या कार्य प्रमाण-पत्र संख्या.....

संलग्नक

1. पूंजी में परिवर्तन के लिए संकल्प की प्रति;
2. केंद्र सरकार के आदेश की प्रति;
3. न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति;
4. शोधनीय अधिमान शेयरों के शोधित को प्राधिकृत करने वाले बोर्ड की संकल्प की प्रति;
5. परिवर्तित संगम ज्ञापन;
6. परिवर्तित अंतर्नियम
7. अनुपातों की गणना करते हुए कार्य (परिवर्तन के मामले में)
8. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें

व्यवसायिक पेशेवर द्वारा प्रमाण

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विधिवत रूप से इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य में लगा हुआ हूँ। एतद्वारा यह भी

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और प्रासंगिक तत्वों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों का अध्ययन किया है और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि प्ररूप की विषयवस्तु के लिए आवश्यक उपर्युक्त ब्यौरे (संलग्नक सहित) कंपनी/आवेदक द्वारा संरक्षित रिकॉर्डों से प्रमाणित किए गए हैं, सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

- उक्त ब्यौरे कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप ठीक तरह से सही क्रम में तैयार किए गए हैं और इन पर कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए हैं।
- सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्णतया, सही रूप से संलग्न किया है।

डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस) लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस)
 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस)
अनुषंगी या संगी अनुषंगी संगी
सदस्यता संख्या
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या

नोट: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः गलत विवरण देने हेतु दंड और गलत साक्ष्य देने हेतु दंड का प्रावधान है।

संशोधित करें

प्ररूप चेक करें

पूर्व संवीक्षा

जमा करें

कार्यालय प्रयोग हेतु:

फाइलिंग ब्यौरे संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) [] ई-फार्म दायर करने की तारीख [] (दिन/माह/वर्ष)

एतद्वारा इस ई-प्ररूप को पंजीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर

जमा की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तिथि

(दिन/माह/वर्ष)"

[फा.सं.01/04/2013-सीएल.व.भारत-IV]

के.वी.आर.मूर्ति

24/12/2020

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 के उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 372(अ) तारीख 05 जून, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।
